

हाथरस में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बवाल

- आरोपी भी नाबालिग, गुस्साई भीड़ ने धार्मिक स्थल पर चलाए पत्थर



हाथरस (एजेंसी)। यूपी के हाथरस में सात साल की एक बच्ची के साथ रेप की बात सामने आने के बाद बवाल मच गया। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग है। गुस्साई भीड़ ने एक धर्मस्थल की ओर पत्थर चलाए तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह उनका गुस्सा शांत कराया। हंगामे और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह बात सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने एक धर्मस्थल की ओर पत्थर भी फेंके। सूचना पर हाथरस के एसपी, कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को इस गांव की सात साल की एक बच्ची दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी।

माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों ने बनाया अनोखा कीर्तिमान

- सोना-चांदी और नकद दान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जबरदस्त इजाफा

जम्मू (एजेंसी)। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का दान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने के बाद, मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। बीते पांच वर्षों में मंदिर को मिलने



वाला दान 171.90 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2020-21 में सिर्फ 63.85 करोड़ था। न केवल नकद चढ़ावा, बल्कि सोने और चांदी के दान में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी तक) में बढ़कर 171.90 करोड़ हो गया है। यह 2020-21 में केवल 63.85 करोड़ था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी एक आवेदन के जवाब में दी है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, सोने का चढ़ावा 2020-21 में 9.07 किलोग्राम था, जो 2024-25 (जनवरी तक) में बढ़कर 27.71 किलोग्राम हो गया है।

रूस ने कर दिया ‘तेल’ पर अब तगड़ा खेल

- क्रिप्टोकॉरेसी से अमेरिकी बैन का निकाल लिया है तोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस ने अमेरिका के बैन का तोड़ निकाल लिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैन से बचने के लिए रूस तेल व्यापार में क्रिप्टोकॉरेसी का इस्तेमाल कर रहा है। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। पिछली



गर्मियों में उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल करेंसी से पेमेंट की अनुमति देने वाला कानून भी पारित किया था। लेकिन तेल व्यापार में इसके इस्तेमाल की खबर पहले कभी नहीं आई थी। कुछ रूसी तेल कंपनियां चीनी युआन और भारतीय रुपये को रूसी रूबल में बदलने के लिए बिटकॉइन, ईथर और टीथर जैसे स्टेबलकॉइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि रूस के कुल तेल व्यापार में क्रिप्टो का इस्तेमाल अभी कम है, लेकिन यह बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पिछले साल रूस का तेल व्यापार 192 अरब डॉलर का था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी सूत्रों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की बात कही है। क्रिप्टोकॉरेसी पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों वाले देशों जैसे ईरान और वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्थाएं चलाने में मदद कर रही है।

हो जाएं सावधान! अबकी गर्मी बरपाएगी कहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत समेत देशभर में गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। इस बीच, ओडिशा में 16-18 मार्च के बीच हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना में 16-17 मार्च, छत्तीसगढ़ में 16, उत्तरी इंडोरियर कर्नाटक में 18-20 मार्च के बीच हीटवेव का अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आंधी तूफान व भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 16 और 17 को तेज बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई। वहीं, असम, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल और माहे में भी बरसात हुई।

- देश के कई राज्यों के लिए हीटवेव की चेतावनी



हमारे दिलों में भारत के प्रति प्रेम हमें आपस में जोड़ता है

आईजेल (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अमित शाह फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान गृहमंत्री के स्वागत में एक 7 साल की बच्ची ने भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम् का गायन किया, जिसे सुनने के बाद अमित शाह ने एक गिटार

- बोले अमित शाह, मिजोरम में 7 साल की गायिका को दिया गिटार

तोहफे में देते हुए, उसकी तारीफ भी की। इस पूरे वाक्ये को बाद में उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर भी साझा किया। इससे इतर गृहमंत्री ने इस दौरान असम राइफलस की जमीन को मिजोरम सरकार को हस्तांतरित करने के समारोह में भी भाग लिया और असम राइफलस की तारीफ की। सोशल मीडिया



साइट एक्स पर इसके बारे में जानकारी देते हुए अमित शाह ने लिखा, भारत के प्रति प्रेम हम सभी को जोड़ता है। आज आईजेल में मिजोरम की वंदर किड

एस्तेर लालदुहमी हनामते को वंदे मातरम् गाते हुए सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। सात वर्षीय बच्ची का भारत माता के प्रति प्रेम उसके गीत में झलकता है, जिससे उसे सुनना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया। आपको बता दें कि मिजोरम की बाल गायिका हनामते का 2020 में मां तुझे सलाम गीत गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तब पहली बार देशभर का ध्यान उनकी तरफ गया था। इस गीत के वायरल होने के बाद पूरे देश से उन्हें जबरदस्त प्रशंसा मिली, इतना ही नहीं मिजोरम सरकार ने भी उन्हें कई पुरस्कार दिए और राज्यपाल ने भी उनकी विशेष प्रशंसा की थी। इसके अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम पर पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचे गृहमंत्री शाह ने असम राइफलस की जमीन को मिजोरम सरकार को हस्तांतरित करने के एक कार्यक्रम में भी भाग लिया।

सिर पर गिलास, जमाल कुडू पर जमकर धमाल

- संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का गजब होली डांस ● सीओ अनुज चौधरी भी बलम पिचकारी पर जमकर नाचे

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस कप्तान का गजब होली डांस भई वाह देखकर चौंक जायेंगे आप सिर पर मिट्टी का गिलास और शानदार बैलेंस बनाकर गाने की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई। उनके इस अद्भुत होली डांस का जब रविवार को वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई उनके डांस को लेकर चर्चा करता सुना जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल बीते साल 24 नवंबर को हिंसा के बाद से चर्चा में आ गया है। लिहाजा संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा है। वहीं तेज तर्रार कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई ने हिंसा के बाद उपद्रवियों पर ऐसा कार्यवाही का चाबुक चलाया कि कुछ

समय के लिए खराब हुए संभल के हालात संभलते देर ना लगी। इसके बाद अब होली पर्व और जुम्मे की नमाज एक साथ होने के चलते संभल पुलिस व प्रशासन पर सुशास्त्र व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी थी। ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लिहाजा संभल एसपी ने प्रशासन की



देखरेख में होली व जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुशास्त्र व्यवस्था के ऐसे इन्तजामात किए कि 'चाह कर भी कोई भेद नहीं सकता था। चप्पे पर भारी पुलिस बल और सीसी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन की पहरेदारी थी। आईपीएस अनुकृति शर्मा ने भी महिला पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया। सीओ अनुज चौधरी को

पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने बलम पिचकारी गाने पर डांस किया। सुबह डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण विश्नोई आपन जिप्सी से ऑफिस पहुंचे। जिप्सी में रंग बरसे भीगे चुरचुरावाली गाना बज रहा था। जैसे ही डीएम-एसपी जिप्सी से उतरे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रंग और गुलाल लगाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से रंग बरसाए गए। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को दौड़कर रंग लगाया। फिर डीएम, सीओ और एसपी को पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठा लिया और जमकर थिरके। इस दौरान पुलिस लाइन में बने गड्ढे में पानी भरा गया, जिसमें एसपी और पुलिसकर्मी कूद गए। उन्होंने एक-दूसरे पर पानी की बौछारें मारीं और हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाए।

उत्तरी मैसैडोनिया के नाइट क्लब में आग से तबाही

स्क्रॉंजे (एजेंसी)। उत्तर मैसैडोनिया के कोचानी शहर के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने तबाही मचाई है। आग लगने की घटना से 51 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। मरने और घायल

- अग्निकांड में 51 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

होने वाले ज्यादातर युवा हैं, जो संगीत कॉन्सर्ट में आए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा रविवार रात ढाई बजे हुआ है। स्थानीय पोप रूप के कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी से निकली चिंगारी से आग लगी, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। भारी भीड़ होने के



चलते चीजें खराब हो गईं और बड़ी संख्या जनहानि हुई। हादसे पर उत्तर मैसैडोनिया के प्रधानमंत्री ब्लैस्तिजान मिक्कोस्की ने दुख जताया है। उत्तर मैसैडोनिया के गृह मंत्री पांचे तोशकोवस्की ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की वजह आतिशबाजी है।

- बंगाल में हिंसा रुक ही नहीं रही, सीएम योगी का वार

25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में सब शांत रहा

गोरखपुर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। जहां रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। जो अन्य तीनों स्तंभों को जोड़ता है और उन्हें सकारात्मक पहलू के बीच लाने में माध्यम बनता है। ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह सकें।

सीएम योगी ने कहा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं (पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए) जिनके यहां आए दिन हिंसा हो रही है और उनसे संभाला नहीं जा रहा। जबकि 25 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में तो जुम्मे की नमाज और होली एक



ही दिन मनाई गई और कुछ भी नहीं हुआ। इस बात पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब सब कुछ सही होने के बावजूद नकारात्मकता फैलाई जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि यह दाल में तड़के के समान है। जिस तरह बिना तड़के के दाल अच्छी नहीं लगती इस

तरह कुछ लोगों को बिना मिर्च मसाले के कुछ भी अच्छ नहीं लगता। दाल में जीरे का तड़का लगे तो वह भी काला हो जाता है। सीएम योगी ने इस दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर होने वाले



पर हुए इस आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस नुक्की से तफतान जा रही थी, जब इसे निशाना बनाया गया। घायलों को तुरंत नुक्की अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन की हालत नाजुक बनी हुई है।

आयोजनों में लाउड स्पीकर की जरूरत आवश्यकता से अधिक बढ़ती जा रही है।

हालांकि यह जरूरी है, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि आयोजन स्थल पर उसकी ध्वनि का प्रसार इतना ज्यादा तेज ना हो ताकि बाहर के लोगों को उससे दिक्कत महसूस हो। चाहे वह किसी भी धर्म और समुदाय का आयोजन क्यों ना हो, इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा जाए और आने वाले वक्त में इसे लागू कर सखी से इसका पालन किया जाए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए। रविवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर क्लब में आयोजित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

जैन मुनि आदित्य सागरजी छत्रपति नगर आएंगे

- 17 मार्च को शाम 4.30 बजे अंबिकापुरी से करेंगे विहार, दो दिन होंगे धार्मिक कार्यक्रम



इंदौर (नप्र)। आचार्य विशुद्ध कुल के मुनि आदित्य सागर जी महाराज 17 मार्च को छत्रपति नगर पधारेंगे। उनके साथ मुनि अप्रमित सागर, आराध्य सागर, सहज सागर और शुक्ल श्रेयस सागर भी होंगे। दिगंबर जैन आदिनाथ जिनालय ट्रस्ट के पदाधिकारियों और छत्रपति नगर के करीब 30 समाजजन ने मुनि संघ से मुलाकात की। एरोइम रोड स्थित सतगुरु पैराडाइज कॉलोनी में उन्होंने श्रीफल समर्पित कर छत्रपति नगर आने का निवेदन किया। मुनि श्री ने दो दिन रुकने की स्वीकृति दी। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दहू के अनुसार, मुनि 17 मार्च को शाम 4:30 बजे अंबिकापुरी जैन मंदिर से विहार करेंगे। वे 5:15 बजे आदिनाथ जिनालय छत्रपति नगर पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे श्रुत समाधान कार्यक्रम में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। 17:30 बजे गुरु भक्ति का आयोजन होगा। 18 और 19 मार्च को प्रातः 7:00 बजे मुनिश्री की उपस्थिति में अभिषेक शांति धारा, प्रवचन और आहारचर्या होगी। शाम को श्रुत समाधान कार्यक्रम होगा। 20 मार्च को प्रातः वे समोसरण मंदिर कंचनबाग के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम में ब्रह्मचारी उत्तमवंद जैन, पूर्व आरटीओ पीसी जैन, डॉ. जैनचंद्र जैन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुक्ता जैन, सुरेखा जैन, सोनाली बागड़िया सहित अन्य महिलाओं ने भी मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त किया।

भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में होली का जश्न

- हितग्राहियों ने लिया भिक्षा नहीं, शिक्षा का संकल्प, रंगों के साथ मनाई खुशियां



इंदौर (नप्र)। इंदौर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में होली का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। हितग्राहियों ने होलीका दहन किया और एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने ‘भिक्षा नहीं, शिक्षा’ के संदेश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। केंद्र में रहने वाले सभी हितग्राही एक-दूसरे के साथ रंग-गुलाल खेलते हुए होली का आनंद लेते नजर आए। यह दृश्य विशेष था क्योंकि ये वही लोग हैं जो कभी भिक्षावृत्ति करते थे और जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब इन हितग्राहियों ने अपने जीवन को नई दिशा दी है। भिक्षावृत्ति छोड़कर वे अब सम्मानजनक जीवन जीने की राह पर चल पड़े हैं। उनका उत्साह और जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। इस पहल से न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि वे समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं।

इंदौर में जनप्रतिनिधियों की होली

- सांसद लालवानी समेत कई नेताओं ने खेती फूलों की होली, लोक कलाकारों ने बांधा समां



इंदौर (नप्र)। इंदौर में होली के अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती और संस्था सादगी के सहयोग से ‘फागुन के रंग, सादगी के संग’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के कार्यकर्ता अकित परमार ने बताया की कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक गो लु शुक्ला, रमेश मंदोला व मधु वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भाजपा संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी मौजूद रहे। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी अतिथियों ने होली के पारंपरिक रंगों में सराबोर होकर सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। जीतू जिराती ने कहा कि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम और सद्भाव का पर्व है। यह आयोजन हमारी संस्कृति को सहेजने और समाज को एकजुट करने का प्रयास है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने फूलों की होली खेलकर वातावरण को भक्तिमय बनाया।

गेहूं खरीदी हुई शुरू

पहले दिन 12 केंद्रों पर 2 हजार किंटल गेहूं की खरीदी, किसानों का पुष्पमाला से हुआ स्वागत



निर्धारण किया है। जिसमें गोदाम पर 56, स्टील साइलो बरलाई 6, विभिन्न मॉडलों में 4 और समिति स्तर पर 25 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान अपनी सुविधा से किसी भी केंद्र पर अपना निःशुल्क स्टॉल बुक करा कर अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे। गेहूं उपार्जन 2600 रुपए प्रति किंटल के हिसाब से की जाएगी।

भुगतान में किसी प्रकार का विलंब ना हो

कलेक्टर आशीष सिंह के विशेष निर्देश है कि किसानों को भुगतान में किसी प्रकार का विलंब ना हो। खरीदी तौल होने के उपरांत तत्काल समिति

प्रबंधक ऑपरेटर बिल बनाएं। उसके बाद उसी समय ऑपरेटर द्वारा रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया जाए। हैंडलिंग चालान या ट्रांसपोर्ट चालान बनाया जाए एवं समस्त प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण कर स्वीकृति पत्रक बनाने की कार्रवाई नागरिक आपूर्ति नियम वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा की जाये, किसानों को भुगतान की कार्रवाई अतिशीघ्र हो सकें। जिला उपार्जन समिति द्वारा फील्ड में किसानों को पर्याप्त बैठने व्यवस्था, छाया, पेयजल, साफ-सफाई के लिए पंख छलने, क्लीनिंग मशीन, हमाल तथा तौल के लिए पर्याप्त तौल कांटे आदि सुविधा/व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। किसानों का भौतिक सत्यापन जिला स्तर से करने

के साथ-साथ सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि नोडल अधिकारी जो केंद्र पर बनाए गए हैं। उनसे केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध सामग्री व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन 3 दिनों में पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन जिला समिति को भेजा जाए।

31 मार्च तक किए जाएंगे पंजीयन

गेहूं खरीदने के लिए कंट्रोल रूम आईपीसी बैंक इंदौर में बनाया है, जिसके नोडल महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के आलोक जैन को बनाया गया है तथा उनके साथ एक विशेष दल लगाया गया है। वे किसानों की समस्याओं को कंट्रोल रूम 07312533200 पर प्राप्त कर शिकायत का उचित निराकरण समय सीमा में करेंगे। गेहूं उपार्जन पंजीकृत किसानों से ही किया जाएगा। जिले में कुल 31 हजार 280 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। किसानों के पंजीयन 31 मार्च तक किए जाएंगे। किसानों से आग्रह किया है कि किसान समय-सीमा में अपना पंजीयन कराए ताकी उनको गेहूं बिक्री करने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

अप्रैल से प्रॉपर्टी गाइड लाइन में औसत 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी

सबसे ज्यादा 150 से 170 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी बुढ़ानिया, बिसनावदा, निपानिया, अर्जुन बड़ौद में

इंदौर (नप्र)। प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइड लाइन साल 2025-26 के लिए लगभग तय हो गई है। जिले में 26 प्रतिशत की औसत वृद्धि गाइड लाइन की दरों में होगी। पहले की 5 हजार लोकेशन को संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदलते हुए अब कुल 4680 लोकेशन के लिए गाइड लाइन तय की गई है। इनमें 3226 लोकेशन, एरिया, कॉलोनियों के लिए बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। सबसे ज्यादा 150 से 170 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी बुढ़ानिया, बिसनावदा, निपानिया, अर्जुन बड़ौद, धरनावद, डकाच्चा, झलारिया, आउटर रिंग रोड में शामिल गांव, 79 गांवों की जमीन और इंदौर-खंडवा रोड के गांवों में यह बढ़ोतरी की गई है। 240 नई कॉलोनियों को पहली बार गाइड लाइन में शामिल किया है।

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया सहित पंजीयन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वरिष्ठ जिला



पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू ने कहा कि 20 मार्च को दोपहर 3 बजे तक आम लोग दावे-आपत्ति दे सकेंगे।

एआई के माध्यम से मिले संपदा के आंकड़ों और बाजार मूल्यों के आकलन के बाद यह प्रस्ताव तैयार किए हैं। 636 लोकेशन ऐसी हैं, जहां 51 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी गाइड लाइन दरों में की गई है। वहीं 1800 लोकेशन ऐसी हैं, जहां 21 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। साल 2024-25 में

2400 लोकेशन पर यह बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि नवंबर में भी एक प्रस्ताव पंजीयन विभाग ने बनाया था, लेकिन उस पर राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल पाई थी। इधर अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि बैठक में सिर्फ एक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्हें भी बैठक के थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी गई। हजारों कॉलोनियों का फैसला अधिकारी खुद करेंगे, जनता का पक्ष किसी ने नहीं रखा।

गाइडलाइन पर 20 मार्च तक

सुझाव आमंत्रित

- रजिस्ट्रार कार्यालय, ई-मेल और वॉट्सऐप से भेजें, 1 अप्रैल से होगी लागू

इंदौर (नप्र)। इंदौर में अचल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। लोग अपने सुझाव 16 से 20 मार्च 2025 तक दोपहर 3 बजे तक वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालयों में दे सकते हैं। सुझाव ई-मेल hindorew@gmail.com या वॉट्सऐप नंबर 9893320632 पर भी भेजे जा सकते हैं। यह प्रस्ताव शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह और विधायक महेन्द्र हार्डिया की



गया। इसमें 3226 क्षेत्र/लोकेशन में संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। 20 मार्च तक सुझाव लेने के बाद उन पर अमल होगा, और 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

पड़ोसी नाबालिग ने घर में घुसकर की छेड़छाड़

मां के शोर मचाने पर पकड़ा, इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात

इंदौर (नप्र)। इंदौर के

रावजी बाजार इलाके में रमजान की सहरी के दौरान 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया। रावजी बाजार पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती हैं। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे जब वह रमजान में सहरी के लिए उठी, तो बड़ी बेटी के कमरे से आवाजें सुनाई दीं। जब वह कमरे



में गई तो देखा कि पड़ोस में किराए से रहने वाला 16 वर्षीय लड़का बच्ची से जबरन छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान आरोपी किसी तरह

खुद को छुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया, इलाके में तैनात किया बल: घटना की सूचना मिलते ही रावजी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर माहौल शांत कराया।

26,600 घरों में लगाए रूफटॉप सोलर पैनल

बिजली बचत और सब्सिडी का फायदा; इंदौर सबसे आगे, उज्जैन-देवास भी पीछे नहीं



अलावा अन्य जिलों में 80 से 750 स्थानों पर संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। पीएम सूर्य घर में प्रति उपभोक्ता को पात्रता के अनुसार 78 हजार की अधिकतम सब्सिडी मिलने से प्रतिमाह 800 से 1200 बिजली उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर नेट मीटर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। योजना के तहत प्रकरणों को समय पर

इंदौर (नप्र)। इंदौर शहर के साथ ही देवास, उज्जैन जिले में सौर ऊर्जा को लेकर व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। 10 मार्च की स्थिति में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र यानि मालवा निमाड़ में अब रूफ टॉप सोलर नेट मीटर का आंकड़ा 26600 तक पहुंच गया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इंदौर मध्य शहर, सुपर कॉरिडोर, बायपास इत्यादि क्षेत्रों में अब तक 14500 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर नेट मीटर स्थापित हो चुके हैं। इंदौर शहर के बाद सबसे ज्यादा उज्जैन जिले में 2650 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि देवास जिले में 1640 स्थानों पर, रतलाम 1130, खरगोन जिले में 1125 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इसके

निराकृत करने के आदेश हैं, योजना क्रियान्वयन एवं प्रकरणों के निराकरण को लेकर कंपनी स्तर पर सतत समीक्षा भी की जाती हैं।

तीन किलोवॉट तक के संयंत्र पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि निम्न दाब श्रेणी के करीब 26,000 और उच्च दाब श्रेणी के 600 इस तरह कुल 26,600 उपभोक्ता अपने परिसरों से पैनल्स के माध्यम से बिजली तैयार कर रहे हैं। वह आगे बताते हैं तीन किलोवॉट तक के संयंत्र पर 78 हजार रुपए की

सब्सिडी भी केंद्र शासन की ओर से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन में न तो कोयला लगता है, न ही पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही यह ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है। छत से बिजली बनाने और उस बिजली को लाइटों में प्रवाहित करने का जरिया नेट मीटरिंग होता है। नेट मीटर, छत से बनने वाली बिजली और उपभोक्ता के घर, दुकान, फैक्ट्री की छत से उत्पादित होने वाली बिजली का हिसाब रखता है। यह हिसाब हर बिल में जारी होता है। यदि बिजली का उपयोग ज्यादा होता है तो अंतर राशि का बिल जारी होता है। इस तरीके से बिजली उत्पादित करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में यह फैसला सुनाया कि महिला और पुरुष अगर लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कोई महिला पुरुष पर शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बैंक मैनैजर और लेक्चरर से जुड़े मामले में की। महिला को याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यह निर्धारित करना मुश्किल होता है, कि यौन संबंधों के पीछे की वजह सिर्फ शादी का वादा था या नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने महिला लेक्चरर की याचिका खारिज कर दी। महिला ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 साल तक यौन संबंधों में रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों साथ अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी एक-दूसरे से मिलते रहते थे। न्यायालय ने मामले को लिव-इन रिलेशनशिप करार दिया। खंडपीठ ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल तक व्यक्ति की मांगों के आगे बिना किसी विरोध के इस आधार पर झुकती रही कि व्यक्ति शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। लंबी अवधि से साथ में रहने के कारण शिकायतकर्ता का दावा कमजोर हुआ। न्यायालय ने कहा कि सोलह साल तक दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे। यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी छल-कपट का तत्व नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि झूठा वादा किया गया था, लेकिन रिश्ते की लंबी अवधि ने शिकायतकर्ता के इस दावे को कमजोर कर दिया कि उसकी सहमति केवल शादी की उम्मीद पर आधारित थी।

याचिकाकर्ता लेक्चरर ने आरोप लगाया था कि सन 2006 में रात को उसके साथ आरोपी ने जबरन यौन संबंध बनाए। न्यायालय ने कहा कि इस बीच अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठता बढ़ती रही। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ित पुरुष ने कहा कि संबंध सहमति से थे और लेक्चरर वयस्क और शिक्षित महिला होने के नाते स्वेच्छा से उसके साथ संबंध में

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में यह फैसला सुनाया कि महिला और पुरुष अगर लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कोई महिला पुरुष पर शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बैंक मैनैजर और लेक्चरर से जुड़े मामले में की। महिला को याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यह निर्धारित करना मुश्किल होता है, कि यौन संबंधों के पीछे की वजह सिर्फ शादी का वादा था या नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने महिला लेक्चरर की याचिका खारिज कर दी। महिला ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 साल तक यौन संबंधों में रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों साथ अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी एक-दूसरे से मिलते रहते थे। न्यायालय ने मामले को लिव-इन रिलेशनशिप करार दिया। खंडपीठ ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल तक व्यक्ति की मांगों के आगे बिना किसी विरोध के इस आधार पर झुकती रही कि व्यक्ति शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। लंबी अवधि से साथ में रहने के कारण शिकायतकर्ता का दावा कमजोर हुआ। न्यायालय ने कहा कि सोलह साल तक दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे। यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी छल-कपट का तत्व नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि झूठा वादा किया गया था, लेकिन रिश्ते की लंबी अवधि ने शिकायतकर्ता के इस दावे को कमजोर कर दिया कि उसकी सहमति केवल शादी की उम्मीद पर आधारित थी।

याचिकाकर्ता लेक्चरर ने आरोप लगाया था कि सन 2006 में रात को उसके साथ आरोपी ने जबरन यौन संबंध बनाए। न्यायालय ने कहा कि इस बीच अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठता बढ़ती रही। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ित पुरुष ने कहा कि संबंध सहमति से थे और लेक्चरर वयस्क और शिक्षित महिला होने के नाते स्वेच्छा से उसके साथ संबंध में

चोरी का साहित्य

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक संभकार हैं।



सहित्यिक चोरी साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गई है, जहाँ एक लेखक के विचारों, शब्दों या रचनाओं पर दूसरे लेखक द्वारा उचित स्वीकृति के बिना दावा किया जाता है। यह कृत्य न केवल साहित्यिक नैतिकता का उल्लंघन करता है बल्कि सच्चे लेखक की मौलिकता और रचनात्मकता को भी कमजोर करता है। कॉपी-पेस्ट करने का मुद्दा हिंदी साहित्य में तेज़ी से प्रचलित हो रहा है, खासकर इस डिजिटल युग में, जहाँ लेख, कविताएँ और कहानियाँ ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। साहित्यिक चोरी में किसी और के साहित्य को बिना श्रेय दिए लेना या उसमें मामूली बदलाव करके उसे अपना बताकर पेश करना शामिल है। यह व्यवहार मूल लेखकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और रचनात्मकता और मौलिकता को दबाता है। कुछ व्यक्ति इस हद तक चले जाते हैं कि वे दूसरों के साहित्य को अपना बता देते हैं। साहित्यिक चोरी के एक रूप में कहानी के पात्रों को बदलना और उसे मूल रचना के रूप में विपणन करना शामिल है। इस कुकृत्य में ऐसे लोग भी हैं जो स्थापित लेखकों की प्रसिद्ध कृतियों को अपनी कृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तथा अक्सर साहित्यिक क्षेत्र में मान्यता और प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं। साहित्यिक चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे लेखक के शब्दों को बिना अनुमति या उचित श्रेय दिए अपने लेखों के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ कोई लेखक बिना उचित उद्धरण के अपने पहले से प्रकाशित साहित्यिक काम का पुनः

लंबे लिव इन रिलेशन के बाद दुष्कर्म का आरोप गलत

अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल तक व्यक्ति की मांगों के आगे बिना किसी विरोध के इस आधार पर झुकती रही कि व्यक्ति शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। लंबी अवधि से साथ में रहने के कारण शिकायतकर्ता का दावा कमजोर हुआ। न्यायालय ने कहा कि सोलह साल तक दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे। यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी छल-कपट का तत्व नहीं था।



भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अर्थ के भीतर बलात्कार नहीं होगा। यह बलात्कार को एक महिला के साथ उसकी सहमति के खिलाफ यौन संबंध के रूप में परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद के एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। इस पर शादी का वादा करने के बहाने एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था। उच्च न्यायालय की टिप्पणी यह थी कि शादी का वादा अपने आप सहमति से यौन संबंध को बलात्कार नहीं बनाता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसा वादा शुरू से ही गलत था। न्यायालय ने कहा कि विवाह के प्रत्येक वादे को सहमति

से यौन संबंधों के मकसद से गलत धारणा के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि विवाह का ऐसा वादा आरोपी की तरफ से रिश्ते की शुरुआत से ही झूठा वादा था। जब तक यह आरोप नहीं लगाया जाता कि इस तरह के रिश्ते की शुरुआत से ही आरोपी की ओर से इस तरह का वादा करते समय धोखाधड़ी का कुछ तत्व था, इसे शादी के झूठे वादे के रूप में नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने दायर याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ मुरादाबाद की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता पर एक महिला की शिकायत पर

प्रसिद्धि की बैसाखी बनता साहित्य में चौर्यकर्म

“ एक मजबूत समीक्षा संस्कृति की कमी ने साहित्यिक चोरी को साहित्य का एक परेशान करने वाला पहलू बना दिया है। आजकल, कोई भी किसी रचना को उसे बिना किसी जाँच के प्रकाशित करवा सकता है, जिससे ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ मूल लेखक ठगे रह जाते हैं। 'निजी' पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ लेना और उन्हें अपने नाम से प्रकाशित करना आम बात हो गई है। इस व्यवहार को खत्म करने के लिए केवल आलोचना ही अपर्याप्त लगती है। साहित्यिक चोरी सिर्फ नए लेखकों या प्रसिद्धि चाहने वालों की ही बैसाखी नहीं है; यहाँ तक कि स्थापित हिंदी लेखक भी दूसरों की रचनाओं में थोड़ा-बहुत बदलाव करके उन्हें अपना बता देते हैं। साहित्यिक चर्चाओं में साहित्यिक चोरी के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें कुछ लेखकों पर प्रसिद्ध पुस्तकों के अंशों को अपनी रचनाओं में शामिल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे अंततः उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। ”



विचारों और शैली को व्यक्त करके मौलिक लेखन को अपनाएँ, यह सुनिश्चित करें कि हिंदी साहित्य में नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता पनपे। दूसरों के काम की अनजाने में नकल करने से बचें। हिंदी लेखकों को अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए अपनी रचनाओं के लिए कॉपीराइट सुरक्षित करना चाहिए। साहित्यिक नैतिकता को बनाए रखें, और लेखकों और पाठकों दोनों को मौलिकता की वकालत करते हुए साहित्यिक चोरी

के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। साहित्यिक चोरी के खिलाफ लड़ाई में आलोचक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफसोस की बात है कि प्रकाशन उद्योग में कई संपादक साहित्य की बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की समझ की यह कमी इस मुद्दे की विर्दबना को और बढ़ा देती है। मौलिक साहित्यिक कृतियों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, स्तंभों या पत्रिकाओं के संपादक के रूप में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास साहित्य में मजबूत आधार और ज्ञान होना चाहिए। हिंदी साहित्य में साहित्यिक चोरी और कॉपी-पेस्ट की बढ़ती समस्या चिंताजनक है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। साहित्य की विशिष्टता को बनाए रखने और लेखकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना और नैतिक मानकों का पालन करना आवश्यक है। साहित्यिक कृतियों में मौलिकता सुनिश्चित करके हम हिंदी साहित्य के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साहित्यिक चोरी लेखकों की ईमानदारी को कमजोर करती है और साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता को कम करती है। साहित्यिक दुनिया में नवाचार को बढ़ावा देने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए मौलिकता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी लेखकों को नैतिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए अपने काम को रचनात्मक और मौलिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

जगाओ कुछ सीखने की ललक अपने अंदर भी

जुगलवंदी

समीर लाल ‘समीर’

लेखक कनाडा निवासी प्रख्यात ब्लॉगर हैं।



कौन कब क्या किससे सीख ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि अगर कुछ सीख लेने की सच्ची ललक मन में ठान लो तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। कई बार तो गुरु प्रकट होता है और वो सिखाने से मना कर देता है, तब पर भी सच्चा सीखने वाला छिप छिप कर सीख लेता है। जैसे कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से सीख लिया था। हालाँकि छिप छिप कर सीखने को द्यूशन फीस में अंगूठा काट कर देना पड़ता। आजकल के जमाने में तो सामने सामने एग्रीमेंट करके सिखाओ तो भी द्यूशन फीस की वसूली का काम वसूली एजेंसी को देना पड़ता है।

इधर घँसू को यही ज्ञान तिवारी जी ने दे दिया। घँसू को यह बात बहुत जंची। उसने ठान लिया कि वो भी अपने अंदर सीखने की सच्ची ललक जगाएगा और सीख कर मानेगा। मुश्किल बस यह थी कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे

सीखना क्या है? बहुत दिन इसी उभेड़ बून में गुजर गए मगर इस यक्ष प्रश्न का कोई हल न मिला। अतः इसी प्रश्न के साथ घँसू पुनः तिवारी जी शरण में पहुँचे। तिवारी जी ने बताया कि यह तो गहन विमर्श का विषय है, शाम को इंतजाम से आओ तब विचार करते हैं।

तिवारी जी यूँ तो सारा दिन पान की दुकान पर बैठे देश और विश्व की हर तरह की समस्याओं पर ज्ञान देते रहते हैं कि आर्थिक मंदी हटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। रोजगार की समस्या का क्या निदान है। रूस यूक्रेन युद्ध कैसे रोका जा सकता है। उनके लिए यह सब मामूली समस्याएँ हैं, जिनके निदान के लिए गहन विमर्श की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर गहरे उतर कर देखें तो वाकई में इन समस्याओं के निदान की बागडोर जिन हाथों में सौंप कर हम सब इनके हल का इंतजार कर रहे हैं, वो खुद अधिकतर बारहवीं पास हैं। ध्यान भटकाने और आपस में लड़वाने की कला में महारथ हासिल करने के सिवाय वो भी तो तिवारी जी की तरह ही ज्ञान बाँट रहे हैं। सौ तीर चलाओ, एक तो निशाने पर लग ही जाएगा। कभी नोट बंद, कभी वोट बंद और कभी किसानों के लिए रोड बंद-सब बंद हो लिया मगर समस्याओं का सिलसिला न बंद हुआ और न बंद होगा। राजनीति की दुकान ही



समस्याओं से चलती है – अगर समस्याएँ ही न रहें तो दुकान कैसे? बहरहाल वापस घँसू की समस्या पर आते हैं। उसे पता था कि तिवारी जी गहन विमर्श की अवस्था में शाम को दो पैग लगाने के बाद आते हैं। अधिकतर लोग इसी अवस्था में पहुँच कर अथाह ज्ञान बांटने में सक्षम हो पाते हैं और वो भी अंग्रेजी में। एक बार तो किसी ने तिवारी जी को रिकार्ड कर लिया था। उनके बोले अंग्रेजी के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तक नहीं थे। यह बात जब तिवारी जी को अगली शाम पुनः विमर्श अवस्था में बताई गई तब उन्होंने बताया कि अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्क इन प्रोग्रेस है – धीरे धीरे ही उनकी अज्ञानता के बादल छटेंगे। ऑक्सफोर्ड वाले अच्छा काम कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रगति पथ पर अग्रसर हैं – मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मैं उन्हें उनके कार्य हेतु साधुवाद देता हूँ। रोम भी एक दिन में नहीं बना था – अतः उन्हें वक्त दो।

शाम तय समय पर घँसू बोलत, धुना मुर्गा आदि जरूरी सामग्री लेकर हाजिर हो गए। तिवारी जी यूँ तो पूर्ण शाकाहारी हैं – उन्हें याद नहीं कि कभी भी उन्होंने मांसाहार लिया हो। मगर दो पैग के बाद की अन्य बात भी उन्हें कब याद रही है। अतः दो पैग के बाद मुर्गा भी चला और ज्ञान

का प्रवाह भी। विमर्श चाय बनाना सीख कर चाय की दुकान खोलने से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते राजनीति में कदम रखने तक पहुँच कर रुका नहीं। चौथा पैग मुख्य मंत्री की कुर्सी और पाँचवा – अहा! देश प्रधान– छटा– विश्व गुरु!! सुबह जब घँसू जागे तो सब क्लियर था – राजनीति सीखना है। और यह ऐसा विषय है कि कोई सिखाने को तैयार होगा नहीं तो छिप कर सीखना होगा।

अब घँसू छिप छिप कर– ताक झांक कर सीख रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की हरकतों को छिप छिप कर देख रहे हैं – कभी सर्किट हाउस की खिड़की से तो कभी किसी होटल के कमरे में – नोटस बना रहे हैं। अभी तक घूसखोरी, योन शोषण, झूठ बोलना, मक्कारी, दोगलापन आदि पर काफी अच्छे नोटस तैयार हो गए हैं। आशा है कि अगर इसी लगन के साथ घँसू सीखते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस विश्वा में महारत हासिल कर एक दिन वो इस देश को दिशा दिखा रहे होंगे और हम सब रेडियो में कान गड़ाए घँसू की मन की बात सुन रहे होंगे।

उम्मीद है कि आज आप में भी कुछ सीखने की ललक जाग ही गई होगी। वरना अपने आस पास वाले किसी तिवारी जी को खोजिए– हर जगह तो हैं वो!

आयोजन

सुधीर नायक

(लेखक मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं)



5 | सी साल जनवरी में अध्यापक संगठनों द्वारा अंबेडकर मैदान में 7 दिवसीय भागवत कथा करायी गई। 4 मार्च को मंत्रालय में मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय परिसर में सुंदरकाण्ड पाठ रखा गया। 4 मार्च को ही विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा विधानसभा परिसर में 108 हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। उसी तारीख को मुरैना में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा भी सुंदर काण्ड पाठ रखा गया। इन सब घटनाओं से यह प्रश्न उभरता है कि कर्मचारी संगठन अपने परंपरागत शांतिपूर्ण तरीकों-ज्ञापन,वार्ता,अभ्यावेदन, प्रदर्शन इत्यादि को छोड़कर पूजापाठ का सहारा लेने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं?

दरअसल प्रशासन तंत्र में आ चुकी गहरी असवेदनशीलता,अहंकार, अकर्मण्यता अनिर्णयता और टालमटोली की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। कर्मचारी संगठनों को लगता है कि शायद भगवान के नाम पर ही उनकी बात सुन ली जाए। एक जमाना था जब केवल काली पट्टी लगाने का भी सज्जान लिया जाता था। छोटी-मोटी समस्याएं तो काली पट्टी लगाने से ही हल हो जाती थी। केवल आंदोलन का नोटिस देने से ही वार्ता के लिए बुला लिया जाता था और अकसर आंदोलन की नौबत ही नहीं आ पाती थी। वार्ता में ही काफी चीजें निपट जाती थी। आंदोलन इस बात का संकेत होता था कि हम कुछ सुनाना चाहते हैं। अब यह एक अघोषित निर्णय हो चुका है कि

आखिर पूजापाठ का सहारा क्यों ले रहे हैं शासकीय कर्मचारी?

आंदोलनरत कर्मचारियों से बात नहीं की जाएगी और बिना आंदोलन के भी बात नहीं की जायेगी तथा आंदोलन के बाद तो की ही नहीं जायेगी। तो फिर बात कब होगी? लोक प्रशासन में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कर्मचारी और प्रबंधन के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक सुसंचालित प्रणाली होनी चाहिए। सतत संवाद चलना चाहिए। तभी सुशासन का लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन शासन में इस सिद्धांत की घोर उपेक्षा हो रही है। शासन और कर्मचारियों के बीच जितने पुल थे सब ध्वस्त हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण था, जिसे वर्ष 2003 में अकारण ही समाप्त कर दिया गया।

परामर्शदात्री समितियां अब केवल नाम के लिए रह गयी हैं। उनकी बैठकें ही नहीं होती। बड़ी जोर आजमाइश के बाद एकाध बैठक हो भी गयी तो उस बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन नहीं होता। हर कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर इस प्रावधान का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कागजों में ये समितियां गठित हैं लेकिन इनकी बैठकें नहीं होतीं। जबकि इन समितियों का गठन राज्य की मुकदमा नीति के तहत किया गया था ताकि मुकदमों में कमी आये और सरकार का बेवजह मुकदमों में हो रहा खर्च कम हो। विधानसभा में याचिका समिति है उसकी भी कर्मचारी समस्या निवारण की दिशा में कोई उल्लेखनीय भूमिका अभी तक देखने सुनने में नहीं आयी। कर्मचारी कल्याण समिति के गठन का

प्रयोग किया गया था वह भी लगभग विफल रहा। एक तो अधिकांश समय उस समिति के पद खाली रहते हैं। चुनाव के समय एक डेढ़ साल के लिए नियुक्ति होती है। फिर उस समिति को पत्र लिखने के अलावा कोई अधिकार नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल के प्रारंभिक वर्षों में कर्मचारी मामलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव की नियुक्ति की गयी। उस समय यह प्रणाली कारगर सिद्ध हुई थी। बाद में यह प्रणाली निष्क्रिय हो गयी या कर दी गयी। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से हम मांग करते आ रहे हैं कि महिला आयोग,मानवाधिकार आयोग इत्यादि की भांति विधानसभा में पारित अधिनियम के माध्यम से एक स्थायी कर्मचारी आयोग गठित होना चाहिए जो कर्मचारी समस्याओं को निरंतर सुनता रहे और उसका न्यायोचित निराकरण करता रहे। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को पुनः स्थापित किया जाना अब जरूरी हो गया है। छोटी छोटी बिल्कुल न्यायसंगत चीजों का भी निराकरण न होने से न्यायालयों में कर्मचारी और शासन के बीच हजारों मुकदमे लंबित हैं जिनपर शासन का करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च हो रहा है। अधिकांश मामलों में शासन हारता है। ये मुकदमे केवल अनिर्णय और टालामटोली की प्रवृत्ति के कारण उदभूत होते हैं। जिन मामलों में बिल्कुल सुस्पष्ट नियम विद्यमान हैं उन मामलों में भी उच्च स्तर से मार्गदर्शन मांगने का चलन आम हो चुका है। उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच मामला झूलता रहता है। जबकि सबकी शक्तियां सुस्पष्ट रूप से नियमों में लिखी हुई हैं। अनिर्णय और

टालमटोली का यह आलम है कि कोर्ट का निर्णय कर्मचारी के पक्ष में आ जाने के बाद उसे भरसक लटकाया जाता है। हर मामले में जितने भी स्तर पर अपीलें संभव हो सकती हैं उतनी अपीलों की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक निर्णय से बचा जा सके। प्रशासनिक तंत्र की इस प्रवृत्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी नंबर 29852/2009 में निर्णय दिनांक 31/10/2009 पारित कर फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि हर बात के लिए आम कर्मचारी को कोर्ट जाने के लिए बाध्य करना और फिर हर न्यायालयीन निर्णय पर सरकार द्वारा अपील करना उचित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने और विधि विभाग ने उक्त न्यायालयीन निर्णय का पालन करने के लिए परिपत्र जारी कर औपचारिकता निभा दी पर यथास्थिति बनी हुई है।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक (सुशीला देवी 20876/2016(सुशीलादेवी प्रकरण) में पारित निर्णय दिनांक 04/01/2017 में निर्देश दिए कि यदि किसी एक कर्मचारी के मामले में न्यायालयीन निर्णय आता है तो उसे अन्य सभी समान रूप से पीड़ित कर्मचारियों के लिए मान्य किया जाना चाहिए। मतलब हर पीड़ित कर्मचारी को न्यायालय जाने की बाध्यता न रहे। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर परिपत्र जारी किया था। परंतु आज भी हर पीड़ित कर्मचारी को पृथक से न्यायालय जाना पड़ता है उसे पूर्व उदाहरण का लाभ नहीं मिलता। अभी फिर उच्च न्यायालय ने रिट अपील क्र. 114/2025 में पारित एक निर्णय दि. 22/01/ 2025 में बिना सोचे समझे हर बात में

अपील करने की प्रवृत्ति को लेकर पुनः फटकार लगाई है। इस पर पुनः परिपत्र जारी कर दिया गया है।

कुछ लोगों का मानना है कि कर्मचारियों की बात न सुनी जाने के लिए कर्मचारी संगठनों की फूट और संगठनों के बीच के आपसी झगड़े उत्तरदायी हैं। लेकिन यह केवल अर्द्धसत्य ही है। वास्तविकता यह है कि कर्मचारी संगठन (अथवा किसी भी तरह के अशासकीय संगठन) के पदाधिकारियों की वैधानिकता की जांच करने के लिए न कोई नियम हैं और न कोई एजेंसी। मध्यप्रदेश के गठन के 69 साल बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। अशासकीय संगठनों के पंजीयन और उनपर नियंत्रण रखने के लिए पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं नामक विधिक संस्था स्थापित है। परंतु पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा कर चुका है कि उसके द्वारा पंजीकृत किसी संगठन के पदाधिकारियों की वैधानिकता की जांच करने की शक्तियां उसके पास नहीं हैं। इस नियम शून्यता का लाभ उठाकर कर्मचारी संगठनों सहित तमाम अशासकीय संगठनों में कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से पदाधिकारी बन जाता है और संगठनों को मूल उद्देश्य से भटकाकर निजी हित में उपयोग करने लगता है। ऐसे अवैधानिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी संगठनों के अधिकांश झगड़े नियमों की इसी विसंगति से उदभूत हो रहे हैं। झगड़े बने रहे शायद इसीलिए यह विसंगति दूर नहीं हो पा रही है।



सिद्ध महाराज पर होली मिलन समारोह

सुबह सवेरे सोहागपुर। मप्र जन अभियान परिषद सोहागपुर के तत्वावधान में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के तहत छात्र एवं छात्राओं ने विकासखंड समन्वयक किशोर कड़ोले के मार्गदर्शन में होली पावन पर्व के उपलक्ष्य में सामुहिक होली मिलन समारोह पवित्र सिद्ध महाराज आयोजित किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने सर्व प्रथम एक दूसरे को गुलाल लगा कर शुभकामनाएं दी। बाद में मिष्ठान गुजिया पपड़ी से एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसी अवसर पर सभी ने नशामुक्ति शपथ ग्रहण ली। भोजन प्रसादी ग्रहण के उपरांत पूरे परिसर की झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में एम एस डब्ल्यू.बी एम डब्ल्यू के छात्र,छात्राएं हरिदास दिवाकर, सौरभ शर्मा, सौरभ बेलवंशी, आयुषी कुशवाहा, शिवानी मेहरा आदि स्थानीय ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। उल्लेखनीय है कि सिद्ध महाराज पर बंट वृक्ष पवित्रता एवं आकर्षण केन्द्र है। इसको देखने दूर-दराज के श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से सौजन्य भेंट की।

पीसीसी चीफ जीतू बोले-एमपी में कानून खत्म हो गया

भोपाल (नप्र)। इंदौर में तुकोगंज थाने के टीआई को वकीलों द्वारा दौड़ा-दौड़ा कर पीटने, मऊगंज में आदिवासियों द्वारा एक एएसआई की हत्या करने और मंडला में एक आदिवासी का नक्सली बताकर कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामलों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र सरकार को घेरा है।



जीतू पटवारी ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं। ऐसा पहला प्रदेश बन गया है, जहां पर पुलिस की पिटाई लगातार और बार-बार होती है।

पिछले तीन दिनों में तीन जगह पुलिस पिटी है। इंदौर में वकीलों ने एक टीआई यादव जी को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। वकीलों का आरोप है कि यादव जी टीआई साहब दारू पीकर शराब के नशे में पहुंचे थे। मऊगंज में पुलिस की हत्या हो जाना यह क्या मैसेज है? फिर मंडला में एक आदिवासी की पुलिस ने नक्सली बताकर हत्या कर दी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जी मध्य प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया नहीं बची।

पुलिस का काम अवैध धंधे चलाना हो गया- पटवारी ने कहा, एमपी ऐसा पहला प्रदेश है, जहां पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया है। एक जगह घटना नहीं होती, हर शहर, हर जिले की यह स्थिति है। मतलब यह है कि गृहमंत्री का काम पूरा फेल हो गया। हमने बार-बार गृहमंत्री जी से मांग की थी कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसका कोई एकमात्र दोषी है तो वह आप हैं।

अप्रैल में जारी हो सकता है 7 हजार आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन, पीईबी ने शुरू की तैयारी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 7,400 पुलिस आरक्षकों की भर्ती का परीक्षा परिणाम पिछले सप्ताह जारी होने के बाद अब करीब 7000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो सकती

आरक्षकों की सेवाएं मिलने लगेंगी। अभी तक आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लगभग डेढ़ वर्ष लग रहे थे। इस कारण रिक्त पदों के विरुद्ध प्रति वर्ष भर्ती का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा था।



है। कर्मचारी चयन मंडल (पीईबी) इसकी तैयारी कर रहा है। विज्ञापन जारी होने के बाद लिखित परीक्षा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर वर्ष के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है। यानी अगले वर्ष इन पुलिस

भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार पीईबी पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण अधिक समय लग रहा था। भर्ती के लिए पीईबी कैलेंडर तैयार कर रहा है।

एमपी में 18-19 मार्च को बारिश, लुढ़केगा पारा

भोपाल (नप्र)। तेज गर्मी के बीच मध्यप्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। अगले दो दिन यानी, 16-17 मार्च को दिन-रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, जबकि 18-19 मार्च को जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, शहडोल और ग्वालियर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। खासकर 19 मार्च को पूर्वी हिस्सा भीमेनाप्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राते भी गर्म हैं। हालांकि, पिछले 3 दिन से प्रदेश के कुछ शहरों में मौसम बदला हुआ है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज गर्मी है, लेकिन अगले दो दिन में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी।

चाय की दुकान पर काम करने वाले 22 साल के लड़के ने की 20 चोरियां, डेढ़ करोड़ का माल उड़ाया

बुरहानपुर (नप्र)। ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करने और अपराध की दुनिया में अपना नाम करने की चाहत में 22 साल उम्र तक आते-आते भिवंडी महाराष्ट्र के नदीम खान ने चोरी की बीस वारदातों को अंजाम देकर करीब डेढ़ करोड़ का माल उड़ा डाला।

यह अलग बात है कि हर चोरी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अधिकांश नकदी व आभूषण बरामद कर लिए। रविवार को एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश और सीएसपी गौरव पाटिल ने सात मार्च को पांडुमल चौराहे के पास हुई चोरी का राजफाश किया तो यह कहानी सामने आई। पुलिस ने आरोपित नदीम के पास से 45,500 रुपये नकद और 13 लाख 54 हजार 500 रुपये के सोने, चांदी व डायमंड के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। चोरी गए आभूषण सात दिन



के अंदर बरामद होने पर पीड़ित राजतानी मेहता ने पुलिस का आभार जताया।

दस हजार का इनाम किया था घोषित-एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया चोरी की इस वारदात को सुलझाने के लिए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने चोर की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही सीएसपी गौरव पाटिल के

अलग-अलग रहते हैं पति-पत्नी

रीना ने बताया कि वह पति से दो वर्ष से अलग रह रही है। उसने पति के खिलाफ आगर-मालवा के महिला थाने में वर्ष 2024 में दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करवाया था। इस प्रकरण की सुनवाई 25 मार्च को होनी है। उस समय केस दर्ज करवाने के बाद रीना बच्चे के साथ कोतवाली थाने से एसडीओपी कार्यालय जा रही थी, तभी आगर के साई मंदिर के पास से पति भव्यांश को छीनकर

इंदौर ले गया था, जहां से हवाई जहाज से उसे बंगाल ले गया था।

पति पर लगाया अपहरण का आरोप

बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने पति पर ही अपहरण की शंका प्रकट की है। पुलिस टीम तलाश कर रही है।

अनिल मालवीय, नगर निरीक्षक कोतवाली थाना, आगर-मालवा



